न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

पूर्व मुकदमा नम्बर 150/1998
मुकदमा नम्बर 248/2016 — दायर दिनांक–02.10.1998
जी.सी.एम.एस. नं. 2021/155

1. धूड़ाराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी मोहनवाली ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. छोटूराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी मोहनवाली ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. नानूराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी मोहनवाली ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. भूदरमल पुत्र हरदेवा जाति माली चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. गुलाराम पुत्र रामूराम जाति माली निवासी ढाणी मोहनवाली तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान। (मृतक)

2/1. बनारसी देवी पत्नी गुलाराम जाति माली निवासी ढाणी मोहनवाली तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

3. फूलाराम पुत्र गुलाराम जाति माली निवासी ढाणी मोहनवाली तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. ज्ञाना देवी स्त्री मंगलचन्द सैनी निवासी कुआ मीणा वाला तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. सुवा देवी स्त्री रुघनाथ जाति माली निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
6. शांति देवी स्त्री बनवारी जाति माली निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. : – श्री सुरेश कुमार सीगड़

दावा : इश्तकरार हक, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा0 88, 53, 188 राज.काश्त. अधि. 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 11–01–2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567 रकबा 0.05, 1.07 हैक्टर ग्राम चिराना की तन में स्थित है। भूमि खसरा नम्बर 4598 रकबा [illegible] 4612 रकबा 0.70 हैक्टर भी ग्राम चिराना की तन में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण [illegible] पिता [illegible] वादी नम्बर 2 गुलाराम की खातेदारी के कदीमी कब्जा शुदा भूमि है। [illegible] नम्बर 3 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 2 का भी इस जमीन में हिस्सा 1/8 है। भूमि [illegible] व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण नम्बर 1 बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है जिसने वादीगण के पिता को बहला फुसला कर एक गलत विक्रय पत्र अपने हक में खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20

ए.सी.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

हैक्टर जमीन का अपने हक में सब रजिस्ट्रार कार्यालय नवलगढ में दिनांक 14.10.1996 को तकमील करवाकर तस्दीक करवा लिया है प्रतिवादी नम्बर 3 जो वादीगण का सगा भाई है वह भी प्रतिवादी नम्बर 1 से मिला हुआ है जिन्होने मिलकर यह फर्जी विक्रय–पत्र तस्दीक करवाया है। प्रतिवादी संख्या 2 को कोई रकम अदा नही की तथा उसे बहका कर धोखे में डालकर यह गलत विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 को तस्दीक करवा लिया है। उपरोक्त भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है अभी तक उपरोक्त जमीन का प्रतिवादी नम्बर 2 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो सम्पति पैतृक संयुक्त व अविभाजित सम्पति है। वादीगण अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 को प्रतिवादी नम्बर 3 व 1 ने धोखे में डालकर उपरोक्त गलत विक्रय पत्र तकमील व तस्दीक करवाया है। विक्रय–पत्र दिनांक **14.10.1996** वादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ बेअसर है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 3 व 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे में डालकर बिना कुछ रकम दिये यह फर्जी विक्रय पत्र तकमील करवा कर तस्दीक करवा लिया है ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत इश्तकरारहक का पेश करना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि है जो संयुक्त अविभाजित है जिस पर वादीगण तथा प्रातिवादीगण अपने–अपने हिससे 1/8 पर शांतिपूर्वक काबिज है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 03 व प्रतिवादी नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे में उलाकर यह विक्रय–पत्र तस्दीक करवाया है। ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा बाबत बंटवारा जमीन का भी पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 1 इस नाजायज विक्रय–पत्र दिनांक 1.10.1998 की आड़ में में उपरोक्त भूमि का नाजायज रूप से कब्जा करने को आमादा है दिनांक 01.10.1998 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने उसके परिवार वाले उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से हमलावर होकर वादीगण व उनके परिवार के सदस्यों के साथ संगीन मार पीट भी कर चुके है। इनके खिलाफ थाना उदयपुरवाटी में अन्तर्गत धारा 147, 451, 323 आई.पी.सी. का मुकदमा भी दर्ज है जिसकी तप्तीश पुलिस कर रही है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 कानून को हाथ में लेकर इस जमीन पर जबरन कब्जा करने को आमादा है। यदि प्रतिवादी नम्बर 1 अपनी इस नाजायज हरकत में सम्पन्न हो गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से अंसभव होगा। वादीगण को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फसना होगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी। वादीगण की जमीन डेमेज व वेस्ट होगी। ऐसी हालत में वादीगण के लिये दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया।

वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में अनुतोश चाहा है कि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थितं का बंटवारा किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा अलग किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे व बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1998 जो प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में तस्दीक कराया है जो वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ बेअसर घोषित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी [illegible] इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर, वाके ग्राम चिराना के किसी भी हिस्से नाजायज कब्जा नही करे, प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे में किसी प्रकार का कोई दखल न तो स्वयं करे अथवा न अपने किसी संबंधी, प्रतिनिधि, नौकर, चाकर आदि से करवावे। अन्य कोई सिद्धि जो वादी के हक में हो वह भी दिलवाई जावे तथा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

ए.सी.जे.एम. (सा.डे.)
नवलगढ

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़, प्रतिवदी संख्या 2, 4 लगायत 6 की ओर से वकील श्री जयसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नम्बर 07 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर बिन्दुवार जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि वाद की धारा 1 स्वीकार है तथा वाद पत्र की धारा 2 जिस प्रकार से दर्ज है, स्वीकार नही है। भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567 वाके ग्राम चिराना में होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598, 4612 ग्राम चिराना में स्थित होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 ग्राम चिराना में स्थित होना स्वीकार है। यह जमीन कदीमी पैतृक जमीन है, यह सही है। यह भी सही हे कि जमीने वादीगण प्रतिवादी नम्बर 3 मुलाराम (चारो भाईयों) के पिता गुलारामे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर जमीन मे से 0.20 हैक्टर जमीन को प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के द्वारा बेच दी तथा कब्जा भूदरमल को संभला दिया एवं रजिर्स्ट विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया जो सही है, विधि के अनुसार है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन का खातेदार काश्कार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल है, इस प्रकार भूदरमल का कब्जा काश्त है, भूदरमल ने खरीफ की फसल बो रखी है, इस जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन से भूदरमल के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना नही है, जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर तथा 4566 मे से पांचवा हिस्सा वादी नम्बर 1 धूड़ाराम के हिस्से में आया था जिस पर धूड़ाराम का कब्जा काश्त था जिससे प्रतिवादी संख्या 1 भूदरमल ने खरीदी है जिसका विक्रय–पत्र भी कानूनन भूदरमल के नाम हो चुका है। चूंकि जमीन में गुलाराम के चारो पुत्रो का बराबर बराबर हक हकूक व हिस्सा था तथा गुलाराम स्वयं के नाम जमीन का राजस्व रिकार्ड दर्ज था क्योंकि चारो भाई (वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3) तथा उनका पिता गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 के पांच हिस्से बना रखे थे तथा पांचो का हक हकूक व हिस्सा था। पांचों में चार भाई तथा उनका पिता गुलाराम है। पांचो ने अपना–अपना हिस्सा अलग–अलग बांट रखा था। भूदरमल प्रतिवादी नम्बर 1 ने 0.20 हैक्टर जमीन खरीदी वह धूड़ाराम के हिस्से की थी जिस पर धूड़ाराम का हक हकूक व कब्जा काश्त था तथा जमीन का राजस्व रिकार्ड गुलाराम (पिता) के नाम था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने 0.20 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 मे से धूड़ाराम के हिस्से की खरीदी थी व रजिस्ट्री गुलाराम से धूड़ाराम ने बनवा कर दी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने बाकायदा रूपये देकर जमीन को खरीदा है व राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम मौजूद है। खसरा नम्बर 4567, 4566 पर चारो भाई (धूड़ा, नानू, मूला, छोटू) व पिता गुला का कब्जा था जिसमें से धूड़ाराम के हक व हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीद ली है, अब धूड़ाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक हकूक व कब्जा नही रहा है, मूलाराम अपने हक–हकूक की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से मूलाराम ने कुछ जमीन बेची है, नानूराम अपने हक हकूक की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से कुछ जमीन नानूराम ने बेची है, गुलाराम अपने हक हिस्से की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से कुछ जमीन गुलाराम ने बेची है तथा छोटूराम अपने हक हकूक के पांचवे हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार मोटे रूप से जवाबदेहन्दा को इतनी ही जानकारी है। जवाबदेहन्दा के द्वारा खरीदी गई जमीन के बाबत वादीगण ने गलत दावा व आधारहीन दावा पेश किया है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 पर गुलाराम के चारो पुत्रों व पिता का कब्जा था जिसमें से धूड़ाराम ने जवाबदेहन्दा को 0.20 हैक्टर जमीन बेच दी व अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी शेष तीनों भाई व पिता गुलाराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:32:24 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा चल रहा है व कब्जा है तथा कुछ हिस्सा बेचा भी है जिसकी विस्तृत जानकारी जवाबदेहन्दा को नही है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 की जमीन वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की पैतृक जमीन है, जिस पर चारों भाई व पिता गुला का कब्जा काश्त है। जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 4598, 4612 में गुलाराम, मूलाराम, छोटूराम, नानूराम, धूड़ाराम का पैतृक जमीन होने से हक हकूक व कब्जा काश्त हैं, गुलाराम जीवित है, पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का उसकी जमीन मे कोई हक हकूक कानूनन नही होता है, हिन्दु कानून के अनुसार पैतृक जमीन में पुत्र का जन्म लेते ही हक हो जाता है, पुत्री का पिता के मरने के बाद हक बनता है। इसलिए खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नही बनता है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम की पुत्रियां है तथा गुलाराम जीवित है, इसलिए वादीगण द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का हक व हिस्सा है, निराधार है, मनगढंत है, कानूनन नही बनता है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का नाम वादीगण ने गलत दर्ज किया है। जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567 पर तीनों भाई मूलाराम, छोटू, नानू, व पिता तथा भूदरमल का कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादीगण ने गलत व आधारहीन दावा पेश किया है।

प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने सही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जिसका राजस्व रिकार्ड में जवाबदेहन्दा के नाम दर्ज है, विक्रय पत्र जितनी जमीन का जवाबदेहन्दा ने खरीदी है उतनी पर जवाबदेहन्दागण का कब्जा है, वादीगण ने सभी बाते गलत लिखी है जिनका कानून कोई औचित्य नही है, जमीन जो जवाबदेहन्दा ने खरीदी है वह धूडाराम के कब्जे व हक की थी जिसका रिकार्ड गुलाराम के नाम था गुलाराम धूडाराम ने रूपये लेकर जमीन जवाबदेहन्दा को राजी रजा बेची है, धूडा राम, गुलाराम की अब नियत खराब हो गई है तथा जवाबदेहन्दा की जमीन हड़पना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है, विक्रय पत्र सही करवाया गया है, जवाबदेहन्दा ने प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम को व धूडाराम को रकम अदा करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, धोखे में डालने का प्रश्न ही नही उठता, गुलाराम व धूडाराम को घर खर्चे के लिये रूपयों की आवश्यकता थी इसलिये जवाबदेहन्दा ने रूपये देकर जमीन खरीदी है, बाकी बाते निराधार व बिना कानून के दर्ज की है, जिनका कानून में कोई औचित्य नही है। जमीने पिछले काफी अर्से से पहले ही बंटी हुई है इसलिए अविभाजित होने का प्रश्न ही नही है पैतृक सम्पति होना स्वीकार है। वादीगण का काबिज होना स्वीकार नही है। जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 पर धूडाराम वादी का कोई कब्जा नही है क्योकि उसने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 को बेच दी प्रतिवादी नम्बर 2 बहुत चालाक व प्रभावशाली व्यक्ति है उसको बहला फुसलाकर रजिस्ट्री करवाने का प्रश्न ही नही है, रजिस्ट्री जो गुलाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 को करवाई है उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की चाराजोही सिविल कोर्ट में करनी चाहिये थी, राजस्व न्यायालय को इसे कानूनन तस्दीक शुदा विक्रय पत्र के बाबत कोई सुनवाई करने का अधिकार नही है, विक्रय पत्र सही है बेअसर होने का प्रश्न ही नही है बाकी बाते वेग लिखी है। वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के विरूद्ध यह दावा करने का अधिकार नही है।

विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 सही हुआ है [illegible] गई जमीन पर जवाबदेहन्दा का कब्जा है व राजस्व रिकार्ड जवाबदेहन्दा के नाम बन चुका [illegible] मौकिक रूप से जवाबदेहन्दा का है, वादीगण हमेशा झूठे मुकदमे [illegible] करते रहे है जिनका कानूनन कोई औचित्य नही है। अन्य बाते इस दावे में बाह्यात की है। जवाबदेहन्दा ने जब रूपये देकर जमीन खरीदी है तथा कब्जा काश्त है बाजरा बो रखा है तथा रेवेन्यू रिकार्ड भी मेरे नाम से दर्ज है इन परिस्थितियों में वादीगण को क्षति होने का प्रश्न ही नही उठता है बल्कि अपार क्षति जवाबदेहन्दा को है, व्यर्थ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा वादीगण ने जवाबदेहन्दा पर किया है, पहले तो रूपये की जरूरत थी तब जमीन बेच दी अब नियत खराब हो गई व मुकदमा कर दिया इस तरह के मुकदमों का क्या औचित्य है।

अतिरिक्त उत्तर

जवाबदेहन्दा ने बाकायदा कानूनन विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है तथा कब्जा प्राप्त किया है व राजस्व रिकार्ड जवाबदेहन्दा के नाम मौजुद है जवाबदेहन्दा ने अपने हक हकूक व कब्जे की जमीन पर खरीफ की फसल बो रखी है। जवाबदेहन्दा काउण्टर क्लेम करता है कि वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जवाबदेहन्दा को क्रय शुदा भूमि पर काबिज रहने दे। विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के विरूद्ध किसी प्रकार की सिद्धि यह न्यायालय नही दे सकता बल्कि सिविल न्यायालय ही दे सकता है। काउण्टर क्लेम को सुनने का न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम प्रतिवादी नम्बर 02 की पुत्रियॉं है तथा कानून पिता के जीवित रहते पुत्रियों का हक नही हो सकता। गुलाराम, धूडाराम छोटूराम, नानूराम पर जमीन खसरा नम्बर 4567 ग्राम चिराना के बाबत धारा 420, 120बी, 467, 406, 471 आईपीसी का मुकदमा ए.सी.जे.एम. कोर्ट नवलगढ़ में चल रहा है तथा इसी कारण से जवाबदेहन्दा पर झूंठा मुकदमा किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमशः 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थित होना स्वीकार है तथा इसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के नाम होना भी स्वीकार है, मगर यह स्वीकार नही है कि जमीनों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8 हो बल्कि भूमि खसरा नम्बर 4566/0.05, 4567/1.07 के दो भाग सम्वत् 2040 में किये गये थे जिसमें पूर्वी भाग जो सड़क चिराना ग्राम में जाती है उसके पश्चिमी में सटकर है उसके चार भाग किये गये थे उत्तर की तरफ का 1/4 हिस्सा गुलाराम का, मुलाराम के सहारे दक्षिण में छोटूराम का 1/4 हिस्सा तथा छोटूराम के दक्षिण में 1/4 हिस्सा नानूराम का व नानूराम के दक्षिण में 1/4 हिस्सा धूड़ारा का रखा गया था। मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन मनीष कुमार नरोतम लाल, रामदयाल, हरिश कुमार, रामेश्वर लाल, को विक्रय कर दी बाकी शेष हिस्सा गुलाराम ने अपने पास रखा था। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 प्रतिवादी नम्बर 2 से अलग रहने लग गये थे। तथा प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने भूमि खसरा नम्बर 4567 में से 0.25 हैक्टर जमीन प्रतिवादिनी नम्बर 4 लगायत 6 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान में दे दी जिसका नामान्तकरण भी इनके नाम भरा जा चुका है। व संतोष कुमार को 25x25 वर्ग गज जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 को बेच दी तथा म्होरी देवी, संतरा देवी व नरेन्द्र सिह को 0.12 हैक्टर जमीन भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी तथा भूमि खसरा नम्बर 4598 व 4612 जमीन के चार हिस्से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम के कर दिये। मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन गजानंद को विक्रय कर दी थी जिसको पुनः वादी धूड़ाराम ने गजानन्द से क्रय कर ली गई।

प्रतिवादी नम्बर 2 काफी वृद्ध है तथा उसकी उम्र [illegible] वर्ष हो गई है तथा उसे सुनाई भी बिल्कुल ही नही देता है तथा उसकी आंखो की रोशनी [illegible] है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 की तहसील नवलगढ़ से [illegible] लिए कर्जा दिलाने में मदद की थी व उसे फव्वारों के लिए तहसील नवलगढ से कर्जा भी दिलवाया [illegible] इसलिए प्रतिवादी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 का काफी विश्वास करने लग गया था। इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 2 को यह कहा कि तुम्हे जो फव्वारों का लोन दिलवाया है उसके कागजों में कुछ कमी रह गई है इसलिए तुम्हे नवलगढ़ चलकर हस्ताक्षर करने है तो प्रतिवादी नम्बर 2 उसी झूठी बातों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (क्र. दे.)

आकर नवलगढ तहसील मे आया गया। वहां पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने फव्वारों की लॉन की बाबत बात कह कर कुछ कागजो पर अंगूठा निशानी करवा लिया उस वक्त प्रतिवादी नम्बर 2 को न तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने यह बताया कि तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे है है व न ही कोई विक्रय की राशि ही अदा की व न ही पटवार हल्का ने प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम प्रतिवादी नम्बर 2 की खातेदारी की जमीन का नामान्तरकरण भरा तब ही इस बारे में बताया विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रतिवादी नम्बर 2 को धोखे में डाल कर प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने हक में करवाया है जो प्रतिवादी नम्बर 2 के खातेदारी अधिकारो के विरूद्ध बेअसर है।

विवादित भूमि का विभाजन जवाब दावे की धारा 2 के अनुसार मौके पर किया हुआ है वादी धुडाराम की स्त्री केशरी, छोटूराम की स्त्री म्होरी देवी तथा नानूराम की स्त्री संतरा देवी के नाम प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4612 तादादी 0.51 हैक्टर जमीन का विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 को करवा दिया है जिन पर उनका कब्जा है तथा भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर भूमि का दान पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने श्रीमती ज्ञाना देवी, श्रीमती सुवा देवी एवं श्रीमति शांति देवी जो कि प्रतिवादी नम्बर 2 की पुत्रियां है उनके दिनांक 29.08.1998 के करवा दिया। वादीगण किस जमीन का बंटवारा करवाना चाहते है। वादीगण अपने–अपने हिस्से मे आई जमीन पर काबिज है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 के जीवनकाल में वादीगण को बंटवारा का दावा करने को कोई कानूनी अधिकार नही है।

प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम के ओर से जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567 वाके ग्राम चिराना मे होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 ग्राम चिराणा में स्थित होना स्वीकार है। उक्त जमीन कदीमी पैतृक जमीन है, यह सही है कि जमीने वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम (चारो भाईयों) के पिता गुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर जमीन मे से 0.20 हैक्टर जमीन को प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के द्वारा बेच दी तथ कब्जा भूदरमल को संभला दिया एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया जो सही है विधि के अनुसार है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल है, इस पर भूदरमल का कब्जा काश्त है, भूदरमल ने खरीफ की फसल जोत रखी है, इस जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर जमीन से भूदरमल के अलावा अन्य किसी को कोई लेना देना नही है, जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, 4566 मे से पांचवा हिस्सा वादी संख्या 1 धूडाराम के हिस्से मे आया था जिस पर धूडाराम का कब्जा काश्त था जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीदी जिसका विक्रय पत्र भी कानूनन भूदरमल के नाम हो चुका है। चूंकि जमीन में गुलाराम के चारो पुत्रों का बराबर बराबर हक हकूक व हिस्सा था तथा गुलाराम स्वयं केनाम जमीन का राजस्व रिकार्ड दर्ज था क्योकि चारो भाईयो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 तथा उनका पिता गुलाराम ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 के पांच हिस्से बना रखे थे तथा पांचों का हक हकूक व हिस्सा थ[illegible]र भाई तथा उनका पिता गुलाराम है। पांचों ने अपना–अपना हिस्सा [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 ने 0.20 हैक्टर जमीन खरीदी वह धूडाराम के हिस्से की थी [illegible] धूडाराम का हक हकूक व कब्जा काश्त था तथा जमीन का राजस्व रिकार्ड गुलाराम पिता [illegible]ाम था। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने 0.20 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 मे से धूडाराम के हिस्से की खरीदी थी व रजिस्ट्री गुलाराम से धूडाराम ने बनवा दी थी। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने बाकायदा रूपये देकर जमीन खरीदा है व राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम मौजूद है। खसरा नम्बर 4567, 4566 पर चारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

भाई (धूडा, नून, मूला, छोटू) व पिता गुला का कब्जा था जिसमें से धूडाराम के हक हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीद ली है, अब धूडाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक हकूक व कब्जा नही रहा है, मूलाराम अपने हक हकूक की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमे से मूलाराम ने कुछ जमीन बेची है, नानूराम अपने हक व हिस्से की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से कुछ जमीन नानूराम ने बेची है, गुल्लाराम अपने हक हिस्से की पांचवे हिस्से की जमीन पर काबिज है, जिसमें से कुछ जमीन गुल्लाराम ने बेची है तथा छोटूराम अपने हक हकूक के पांचवे हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के द्वारा खरीदी गई जमीन के बाबत वादीगण ने गलत दावा व आधारहीन दावा पेश किया है। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 पर गुलाराम के चारो पुत्रों व पिता का कब्जा था, जिसमें से धूड़ाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को 0.20 हैक्टर जमीन बेच दी व अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी शेष तीनों भाई व पिता गुल्लाराम का हिस्सा चल रहा है व कब्जा है तथा कुछ हिस्सा बेचा भी है किसी विस्तृत जानकारी प्रतिवादी नम्बर 1 भूंदरमल को नही है। खसरा नम्बर 4598 व 4612 की जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 की पैतृक जमीन है, जिस पर चारो भाई व पिता गुला का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 में गुलाराम, मुलाराम, छोटूराम, नानूराम, धूड़ाराम का पैतृक जमीन होने से हक हकूक व कब्जा काश्त है, गुलाराम जीवित है, पिता के जीवनकाल में पुत्रियों का उसकी जमीन में कोई हक हकूक कानूनन नही होता है, हिन्दु कानून के अनुसार पैतृक जमीन में पुत्र का जन्म लेते ही हक हो जाता है, पुत्री का पिता के मरने के बाद हक बनता है। इसलिये खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नही बनता है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 गुलाराम की पुत्रियां है तथा गुलाराम जीवित है, इसलिये वादीगण द्वारा यह कथन कि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का हक व हिस्सा है, निराधार है, मनगढ़त है, कानूनन नही बनता है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का नाम वादीगण ने गलत दर्ज किया है। जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567 पर तीनों भाई मूलाराम, छोटू, नानू व पिता तथा भूदरमल का कब्जा काश्त है।

जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना में प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक हकूक कानूनन नही बनता है, न ही कब्जा काश्त है यह तथ्य वादीगण द्वारा महज जवाबदेहन्दा को उसके हिस्से की जमीन से महरूम करने के लिये मनगढ़त दर्ज किया है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 अपने ससुराल रहती है तथा वही पर इनकी जमीन है। इन जमीनों में वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक रहा है, जिसमें से वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 ने कुछ जमीने बेची है।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 भूदरमल ने सही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जिसका राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम दर्ज है, विक्रय पत्र में जितनी जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 ने खरीदी है उतनी पर प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का कब्जा है, वादीगण ने सभी बाते गलत लिखी है जिनका कानूनन कोई औचित्य नही है, जमीन जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने खरीदी है व धूडाराम के कब्जे व हक की थी जिसका रिकार्ड गुलाराम के नाम था, [illegible]राम ने रूपये लेकर जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को राजीरजा बेची है, [illegible] गई है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल की जमीन [illegible] उन्हे कोई अधिकार नही है, विक्रय पत्र सही करवाया गया है, प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने प्रति[illegible] नम्बर 2 गुलाराम को व धूडाराम को रकम अदा करके विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, धोखे में डालने का प्रश्न ही नही है।

जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक रहा है। प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का इस जमीनों में कानूनन कोई हक नही बनता

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

है क्योंकि पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक नही होता। विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकार है अविभाजित व संयुक्त होने का प्रश्न ही नही है, जमीनों का आपसी बंटवारा पिता गुलाराम चारो पुत्र धूडाराम, नानूराम, छोटूराम, मूलाराम में सम्वत् 2040 में ही हो गया था तथा पांच हिस्से बराबर–बराबर करके अलग–अलग सम्वत् 2040 से ही वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 काबिज थे। आपसी बंटवारो के बाबत अलग–अलग हक व हिस्से के मुताबिक नक्शा भी जवाब दावे के साथ पेश है जो जवाब दावे का हिस्सा रहेगा। वादी नम्बर 1 धूडाराम का जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566 में कोई हिस्सा नही है क्योंकि धूडाराम के हिस्से की 0.20 हैक्टर जमीन धूडाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को बेच कर विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 2 से करवा दिया है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज है, खसरा नम्बर 4598, 4612 में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 का हक व हिस्सा है तथा कुछ जमीने बेची है जिनके बारे में विस्तृत जानकारी अतिरिक्त उत्तर में दी गई है। जवाबदेहन्दागण प्रतिवादी नम्बर 3 का प्रतिवादी नम्बर 1 को जमीन बेचने में कोई किसी प्रकार का सरोकार नही था, वादी धूडाराम ने जमीन के कहने के मुताबिक ही प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम चलता है, धूडाराम जवाबदेहन्दा से दुश्मनी रखता है तथा जबवादेहन्दा को उसके हक की जमीन से वंचित करना चाहता है जिसके लिये गुला राम का नाजायज दुरूपयोग धूडाराम करता है, धूडाराम ने अपने हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 4567 की बेच दी और अब गुलाराम से साज करके जवाबदेहन्दा के हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है। धूडाराम की नियत खराब हो गई है तथा वह मूलाराम को निकालना चाहता है तथा इस काम मे गुलाराम, धूडाराम के कहने में है, जिसका धूडाराम व गुलाराम को कोई अधिकार नही है यही कारण है कि धूडाराम ने गुलाराम द्वारा वादग्रस्त जमीनों के विक्रय–पत्र प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा धूडाराम की पत्नी केशरी देवी, नानूराम की पत्नी संतरा, छोटू की पत्नी महाली देवी के नाम गलत रूप से व दिखावा मात्र करने के लिये तथा जवाबदेहन्दा को उसके हक की जमीनों से वंचित करने के लिये तथाकथित रूप से करवाये है जिनका कानूनन कोई औचित्य नही है तथा पैतृक सम्पति होने एवं पैतृक सम्पति में पुत्रों का हक होने एवं काबिज काश्त होने आदि के कारणों से जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है, विक्रय पत्र जो प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मोहरी देवी, सन्तरा देवी, केशरी देवी के नाम तथाकथित रूप से गुलाराम ने करवाये है वे एबिनिसियों वोईड है तथा इनका कानून की नजर में कोई अहमियत नही है, पूरा जवाब अतिरिक्त उतर में दिया गया है, पति के हक की जमीने पत्नियों के नाम करवाना मात्र दिखावा होता है तथा नाटक है एक अनर्गल लाभ प्राप्त करने की कुचेष्टा है। इस तरह का नाटक व दिखावा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 तथा प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 एवं मु0 केशरी देवी, मु0 केशरी देवी, मु0 सन्तरा देवी, मु0 महरी देवी ने जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 के बाबत किया है जो कितना हास्यास्पद है तथा इस तरह के कृत्य से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की नियत कितनी खराब है तथा वे जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु कंहां तक जा सकते है।

धूडाराम ने अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 को बेच दी तथा रकम लेकर गुलाराम से रजिस्ट्री करवा दी व कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दे [illegible] तरफ यह गलत दावा नियत खराब होने से कर रहे है जो कि चलने [illegible] जवाबदेहन्दा को हैरान, परेशान व उसके हक से वंचित करने के लिये किया गया है [illegible] प्रतिवादी नम्बर 2, 3 के मध्य सम्वत् 2040 मे ही जमीनों का बंटवारा हो गया था जिसका वि[illegible] अतिरिक्त उतर में दिया गया है। वादी धूडाराम को खसरा नम्बर 4567, 4566 की जमीन के बाबत विभाजन का दावा करने का हक ही प्राप्त नही है क्योंकि धूडाराम का खसरा नम्बर 4566, 4567 में कोई हक व हिस्सा ही नही है। जब हक ही नही है तो विभाजन का दावा करने का कानूनन कोई अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 को सही हुआ है तथा क्रय की गई जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का कब्जा है व राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम बन चुका है कब्जा बाकायदा भौतिक रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का है, वादीगण हमेशा झूंठे मुकदमें बनाकर रिपोर्ट करते रहे है जिनका कानूनन कोई औचित्य नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने जब जमीन खरीदी है तथा कब्जा काश्त है बारजा बौ रखा है तथा राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है तो इस परिस्थिति में वादीगण को क्षति होने का प्रश्न ही नही है बल्कि अपार क्षति जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को है, व्यर्थ का मुकदमा वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 पर किया गया गया है।

वादीगण इस दावे से किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नही कर सकते है धारा 10(क) में वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 के लिये बंटवारा चाहा है जबकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 प्रतिवादी नम्बर 2 की पुत्रिया है, पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक पिता की जमीन में नही होता इसलिए बंटवारे का दावा कानूनन खारीज होने योग्य है। धारा 10(ख) में विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 सही तस्दीक करवाया गया है क्योंकि धूडाराम वादी ने अपने हक व हिस्से की जमीन प्रतिफल प्राप्त करके गुलाराम से कानूनन विक्रय पत्र तस्दीक करवा के कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को दे दिया तथा राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो गया व प्रतिवादी नम्बर 1 आज भी धूडाराम के हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 0.20 हैक्टर पर दिनांक 14.10.1996 से काबिज है, उसकी फसल खडी है, उपयोग उपभोग में लेता हैं। इस कारण इस बाबत वादीगण को कोई सिद्धि कानूनन प्राप्त नही कर सकते है।

स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त नही कर सकते है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का जब किसी प्रकार का हक हकूक व कब्जा ही कानूनन व तथ्यात्मक रूप से नही है तो स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार ही नही है। वादी धूडाराम का खसरा नम्बर 4567, 4566 पर कोई कब्जा नही है, हक हकूक नही है तो वादी धूडाराम स्थाई निषेधाज्ञा से किसी को पाबन्द नही करवा सकता है।

अतिरिक्त उतर एवं काउण्टर क्लेम

भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर वाके ग्राम चिराना में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 की पैतृक सम्पति है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 3 चारो सगे भाई है तथा चारो प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के पुत्र है। सम्वत् 2040 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 के बीच इस जमीनो का आपसी बंटवारा हो गया था जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 ने प्रत्येक ने 1/5, 1/5 हिस्से की जमीनों पर अलग–अलग कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 पांचों का उपरोक्त जमीनों में पैतृक जमीन होने से कानूनन हक हकूक व कब्जा काश्त है तथा प्रत्येक पांचवे हिस्से का हक रखता था उसी मुताबिक पांचवे–पांचवे हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 3 सम्वत् [illegible] काबिज हो गये थे तथा खातेदार हो गये चूंकि जमीन प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम चली आ रही [illegible] क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 2 वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 का पिता है वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 को [illegible] रहे है तथा वे प्रतिवादी नम्बर 3 जवाबदेहन्दा को उसके हक हकूक से वंचित करना चाहते है।

वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने सम्वत् 2040 में बंटवारा किया था उसका नक्शा अलग अलग हिस्से के अनुसार जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम के साथ पेश है जिसे जवाब दावा व काउण्टर क्लेम का हिस्सा माना जावे। नक्शे के साथ हालात नक्शा का भी हवाला दिया गया है उसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

भी जवाब दावा काउण्टर क्लेम का भाग माना जावे। नक्शे में वादी नम्बर 1 की पांचवे हिस्से की जमीने बताई गई है तथा वादी नम्बर 2 की पांचवे हिस्से की जमीने बताई गई है, वादी नम्बर 3 की पांचवे हिस्से की जमीने बताई गई है प्रतिवादी नम्बर 2 की पाचवे हिस्से की जमीने बताई गई है तथा प्रतिवादी नम्बर 3 की पांचवे हिस्से की जमीने बताई गई है। इसी प्रकार हक हकूक था एवं इसी प्रकार बंटवारा किया था तथा बंटवारे के वक्त कोई विवाद भी नही था लेकिन अब 1998 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की नियत खराब हो गई तथा चारो (वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 2) ने नाजायज साज करली एवं जवाबदेहन्दा को हैरान परेशान करके उसके हक की व कब्जे काश्त की जमीने हड़पने की बदनियत बना रखी है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इसिलए जवाबदेहन्दा अपने हक की घोषणा करवाने हेतु तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने सम्वत् 2040 में जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना का भाई बंटवारा कर लिया था उसके मुताबिक चारो भाई व पिता के प्रत्येक के पांचवा हिस्सा की जमीन आई थी, बंटवारा निम्न प्रकार से हुआ है :–

(क) खसरा नम्बर 4567, 4566 रकबा क्रमशः 1.07, 0.05 हैक्टर कुल रकबा 1.12 हैक्टर का विभाजन चारो भाई व पिता में हुआ था जिसे नक्शे अनेक्सर–1 में दिखाया गया है उसके मुताबिक वादी संख्या 1 धूड़ाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 का हिस्सा 0.20 हैक्टर आई थी जिसे नक्शे में बताया गया है जिसको धूड़ाराम ने प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को बेच दी व अपने पिता गुलाराम से रजिस्ट्री करवा दी एवं कब्जा दे दिया आज धूड़ाराम के हक की इस 0.20 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त है व राजस्व रिकार्ड नाम है। वादी नम्बर 2 छोटूराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 का हिस्सा 0.22 हैक्टर आया है जो दो जगह हिस्से में छोटूराम की बताई है वह आई, यह 0.16 हैक्टर जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 के पूर्वी दिशा में सटकर है तथा 0.06 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4566 के पूर्व में आई है जो चिराना कस्बे में जाने वाले रास्ते पर है। छोटूराम ने अपने हिस्से की 0.06 हैक्टर जमीन में एम, एन स्थान पर दो दुकाने बना रखी है। वादी नम्बर 3 नानूराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 में कुल 0.21 हैक्टर आई है जिसमें 0.11 हैक्टर जमीन खसरा नम्बर 4567 के दक्षिण में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के पश्चिम में आई है जो नक्शे में दिखाई गई है एवं खसरा नम्बर 4567 के पूर्वी तरफ चिराना कस्बे के रास्ते पर नानूराम के हिस्से में 0.10 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में बताई गई है जिसमें स्थन एल पर 11½x22 जमीन नानूराम ने नरेन्द्र सिंह पुत्र रेवतसिह राजपूत को बेच दी तथा अपने पिता से रजिस्ट्री करवा दी। इस जगह पर नरेन्द्र सिंह ने दो मंजिली दुकान व मकान बना रखी है। ओ.पी. स्थान पर नानूराम स्वयं ने 2 दुकाने बना रखी है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4567 में कुल 0.22 हेक्टर जमीन आई है जिसमे सीकर उदयपुरवाटी सड़क पर 0.08 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शा अनेक्शर–1 में बताई गई है तथा इसी सड़क पर 0.07 हैक्टर जमीन और आई है जो नंक्शे में बताई गई है तथा चिराना कस्बे में जाने वाले रास्ते पर 0.07 हैक्टर जमीन प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम के हिस्से में आई थी जिसे नक्शा अनेक्सर–1 में बताई है जिसमें से गुलाराम ने खसरा नम्बर 4567 के एकदम दक्षिणी पूर्वी तरफ की जमीन गजानन्द शर्मा ... को बेच दी जिस पर ... शर्मा ने मकान व दुकान बना रखी है एवं इस गजानन्द के उतरी तरफ की जमीन जो गुलाराम के हिस्से की थी उसको गुलाराम ने मोहनलाल कुमावत पुत्र को बेच दी जो मोहन कुमावत की ... जमीन पड़ी है नक्शे में स्पष्ट बताया गया है, गुलाराम ने अपने हिससे की जमीन जो नक्शे में इ.एफ.जी. एच.आई.जे.के. से दिखाई गई है वह विभिन्न लोगो को बेचदी जो नक्शे में बताया गया है, ई स्थान पर 20X23 फुट की जमीन गुलाराम ने उस्मान लुहार को बेच दी जिस पर दुकान बनी हुई है। "एफ" स्थान पर 11x41½ फुट जमीन गुलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

ने मूलाराम पुत्र हणमान कुमावत को बेच दी जिस पर चार दुकाने, एक पेड़काला बना हुआ है ''जी'' स्थान पर 10x23 फुट जमीन की गुलाराम ने बसेसर जागिड़ पुत्र डेडाराम को बेच दी जो खाली पडी है। ''एच'' स्थान पर 11x23 फुट जमीन वाली है जिसको गुलाराम ने अपने हिससे में से नून पुत्र हरदेवा व नानू पुत्र सुरजा माली को बेच दी ''आई'' स्थान पर 10x23 फुट खाली जमीन है जो गुलाराम ने अपने हिस्से में से मेहन्द्र सिह पुत्र खेमसिंह शेखावत को बेची तथा महेन्द्र सिह ने भूदरमल सैनी पुत्र हरदेवाराम सैनी को बेच दी जिस पर भूदरमल सैनी का कब्जा है, ''जे स्थान पर 10x23 फुट जमीन जो गुलाराम के हक की थी उसे गुलाराम ने कन्हैयालाल महाजन को बेच दी इस स्थान पर पुख्ता दुकान बनी हुई है, ''के'' स्थान पर 3 दुकाने है जिनमें 2 दुकाने पूर्वी तरफ एवं एक दुकान उतरी तरफ खुलती है जो रामेश्वर सैनी खारियों मोदी की ढाणी व नाथूलाल स्वामी किरोडी की दुकाने है जो गुलाराम ने अपने हक की जमीन में से बेची है। गुलाराम के हिस्से की 0.07 हैक्टर जमीन सीकर उदयुपरवाटी सड़क पर आई है उसमें से गुलाराम ने सडक पर क,ख,ग व स्थान की जमीने बेच दी है जिनमें क स्थान पर 10x23 फुट जमीन जिकसी चिणाई सडक के लेवल के उपर तक की हुई है जिसको गुलाराम ने सन्तोष कुमार पुत्र रामसिह कुमावत को बेच दी ख,ग,व स्थाप पर 23x40 फुट जमीन जिसकी चिणाई सडक के लेवल से उमर तक की हुई है जिसको गुलाराम ने गणपत पुत्र सुखाराम माली को बेची दी।

प्रतिवादी नम्बर 03 मूलाराम जवाबदेहन्दा की खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर जमीन है जिस पर पुख्ता मकान बनाया हुआ है जिसे मूलाराम जवाबदेहन्दा ने वादीगण से उनका हिस्सा खरीद लिया है, इस पर सम्पूर्ण पर अब मूलाराम का कब्जा व हक हकूक है। खसरा नम्बर 4567 के पश्चिमी तरफ की जमीन 0.13 हैक्टर जमीन जो सीकर उदयपुरवाटी सड़क पर है जो नक्शा अनेक्शर नम्बर 1 में दिखाई गई है यह भी जवाबदेहन्दा के हिस्से में आई है एवं खसरा नम्बर 4567 रकबा 0.09 हैक्टर जमीन जो खसरा नम्बर 4567 के उतरी पूर्वी कोने पर मूलाराम के हिस्से में आई है जो नक्शा अनेक्शर–1 में बताया गया है जिमसें इ.एफ.जी.एच.आई.जे.के.डी.सी.बी.ए स्थानों की जमीन मूलाराम ने बेच दी है। नक्श में एक्स स्थान पर मूलाराम का आने जाने का रास्ता है। नक्शा अनेक्सर–1 में ए स्थान पर 39x23 फुट जमीन मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन में से मनीष कुमार पुत्र श्यामसुन्दर महाजन को बेच दी है जिस पर दुकाने बनी हुई। बी स्थान पर 23x10 फुट जमीन को मूलाराम ने नरोतम पुत्र कन्हैयालाल महाजन को बेच दी जिस पर दुकान बनी हुई है सी स्थान पर 23x12 फुट जमीन को मूलाराम ने विनोद पुत्र दुर्गा पारीक को बेच दी जो खाली जगह पड़ी है ''डी'' स्थान पर 23x8 फुट जमीन को मूलाराम ने रामदयाल, मूलचन्द सैनी को बेच दी जिस पर दुकान बनी हुई है।

(ख) खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.60 हैक्टर ग्राम चिराना की जमीन पैतृक जमीन है, इसका आपसी बंटवारा सम्वत् 2040 में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के बीच हो गया था जिसके मुताबिक प्रत्येक के हिस्से में पांचवा–पांचवा हिस्सा आया था जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 (चारो भाई) एवं पिता प्रतिवादी नम्बर 2 है। इस जमीन का बंटवारा किया उसका नक्शा अनेक्सर–1 है जिसको [illegible] समझा जावे, जिसमें सभी पाचों हिस्सेदारों का हक व हिस्सा अलग–अलग दिखा र[illegible] जो [illegible] प्रकार है :–

वादी नम्बर 1 धूडाराम के हिस्[illegible] कुल रकबा 0.83 हैक्टर जमीन में से 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जो पाचवें हिस्से की जमीन मे से दी है। गुलाराम का इस जमीन मे पांचवा हिस्सा है जिसका विभाजन सम्वत् 2040 मे किया तब पाचंवे हिस्से की जमीन गुलाराम की रखी थी उसके बाद गुलाराम की नियत खराब हो गई तथा वह जवाबदेहन्दरा से दुश्मनी रखने लगा व वादीगण व गुलाराम ने नाजायज साज करके जवाबदेहन्दा को उसके हक की जमीन से वंचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

करने की बदनियत बना रखी है इसके कारण गुलाराम ने इस जमीन में पांचवे हिस्से की जमीन लेकर वादीगण को तीनो को बांट दी इससे यह साबित है कि जवाबदेहन्दा से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 का दुश्मनी है तथा वे जवाबदेहन्दा को उसके कानूनी हक से वंचित करना चाहते है इसलिए यह काउण्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ। इस जमीन में धूडाराम वादी नम्बर 1 के हिस्से में 0.22 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में स्पष्ट की गई है जिसमें धूडाराम के पुख्ता मकान स्थान ''बी'' पर बने हुये है तथा स्थान ''सी'' पर धूडाराम के कच्चे छपरे आदि है।

वादी नम्बर 2 छोटूराम के हिस्से में खसरा नम्बर 4598 व 4612 मे से 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 4612 में छोटूराम के हिस्से में 0.07 हैक्टर जमीन आई है जो नक्शे में बताई गई है तथा यह जमीन खसरा नम्बर 4612 के पश्चिमी व .उतरी तरफ की है जिसमें ''ए'' स्थान पर पुख्ता दुकान है जो रामदेव पुत्र नाथू खाती की है जिसे रामदेव ने छोटू राम से खरीदी है जो 20x20 फुट जगह है, छोटूराम के हिस्से में शेष जमीन खसरा नम्बर 4598 में 0.15 हैक्टर जमीन आई है जो खसरा नम्बर 4598 की पश्चिमी व दक्षिणी तरफ की है छोटूराम के हिस्से की 0.22 हैक्टर जमीन के पूर्वी तरफ मिट्‌टी का डोला (बाड़) लगा हुआ है।

वादी नम्बर 3 नानूराम के हिस्से में खसरा नम्बर 4612 की पूर्वी तरफ की 0.22 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जिसमें से क,ख,ग,घ जमीन 0.09 हैक्टर नानूराम ने लादूराम, मातादीन पुत्र हणमान कुमावत को बेच दी जिसमें लादूराम मातादीन ने दुकाने पुख्ता बना रखी है जिन्हे नक्शा अनेक्सर–2 में ड़ी.ई.एफ.जी. से दिखाई गई है, स्थिति नक्शे से स्पष्ट है।

प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम के हिस्से में जमीन खसरा नम्बर 4612 व 4598 की कुल जमीन 0.17 हैक्टर हिस्से में आई है जिसमें खसरा नम्बर 4598 की पूर्वी तरफ की 0.08 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है तथा खसरा नम्बर 4612 की 0.09 हैक्टर जमीन हिस्से में आई है जो अनेक्सर–2 के नक्शे में छ, ड़, ज, च से दिखाई गई है जिसमें दो दुकाने एल.एम. मूलाराम जवाबदेहन्दा ने बनाई है तथा मूलाराम ने अपने हिस्से की जमीन च, ड़, ज, छ में पत्थर डाल रखे है तथा पत्थरों का पारा बना रखा है।

वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2, 3 की पैतृक जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम पंचायत चिराना का बंटवारा सम्वत् 2040 में किया था उसका हवाला काउण्टर क्लेम की धारा 3(क) 3(ख) में दिया गया है जिसके मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 खातेदार काश्तकर है, काबिज है तथा उसी प्रकार काउण्टर क्लेम के माध्यम से बंटवारा की डिक्री प्राप्त करना चाहते है।

प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना मे कोई कानूनन हक हकूक नही बनता है तथा न ही प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 को गलत रूप से पक्षकार बनाया है जो कि दावे में नुक्श है इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 के अलावा भी अन्य लोगो का कब्जा है उनको पक्षकार नही बनाया गया है तथा वे इस दावे के आवश्यक पक्षकार है जिनके बिना इस दावे का [illegible]। जिन लोगो का उपरोक्त खसरा नम्बर की जमीनों पर कब्जा है उनमें रामदेव पुत्र [illegible] माली निवासी चिराना मातादीन, लादूराम पुत्रान हणमान जाति कुमावत [illegible] जाति माली, संतोष कुमार पुत्र रामरिख जाति कुम्हार निवासी चिराना, उस्मान लुहार, मू[illegible] पुत्र हणमान जाति कुम्हार निवासी चिराना, बसेसर पुत्र डेडाराम खाती निवासी चिराना, नानूराम पुत्र हरदेवाराम माली निवासी चिराना, नानूराम पुत्र सुरजा माली निवासी चिराना, कन्हैयालाल महाजन निवासी चिराना, रामेश्वरलाल सैनी निवासी खारियो मोदी की ढाणी, नाथूलाल स्वामी निवासी किरोडी, रामदयाल पुत्र मूलचन्द सैनी निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (...)

चिराना, विनोद पुत्र दुर्गादत पारीक निवासी चिराना, नरोतम पुत्र कन्हैयालाल महाजन निवासी चिराना, मनीश कुमार पुत्र श्यामसुन्दर महाजन निवासी चिराना, नरेन्द्र सिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत निवासी चिराना, गजानन्द शर्मा निवासी चिराना, मोहन कुमावत निवासी चिराना है, जिनको इस दावे में पक्षकार बनाना आवश्यक था जो नही बनाया गया, इसलिए आवश्यक पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने अपनी पुत्रियों तथा जवाबदेहन्दा की व वादीगण की बहिने मु0 झांना देवी, शांति देवी के नाम दिनांक 29.8.1998 को एक तथाकथित दान–पत्र करवाया है, जो कि कानूनन अवैध है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है यह तथाकथित दान–पत्र नल एण्ड वोईड है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों पर बेअसर है क्योंकि जमीन खसरा नम्बर 4567 पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन में गुलाराम के पुत्रों का पांचवा–पांचवा हिस्सा निहित है जिसको खुर्द–बुर्द करने व हस्तान्तरण करने का गुलाराम को अधिकार नही है। गुलाराम स्वअर्जित सम्पति को ही दान में दे सकता है इस जमीन को नही, यह तथाकथित दान–पत्र गुलाराम ने जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु गलत व दिखावे के लिये नाटकीय रूप से किया है जबकि ऐसा वास्तव में किया नही गया है, महज जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने हेतु यह तथाकथित दान–पत्र करवाया गया है। गुलाराम अपने पुत्रों (वादीगण) को नाजायज लाभ देने के लिये तथा जवाबदेहन्दा को बर्बाद करने के लिये यह तथाकथित दान–पत्र करवाये है जो केवल दिखावा मात्र है तथा गुलाराम को यह दान पत्र करवाने का कानूनन अधिकार नही था क्योंकि हिन्दू कानून से पैतृक जमीन में उसके पुत्रों का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है व पिता के बराबर के हकदार हो जाता है इस कारण से गुलाराम को जवाबदेहन्दा के हक की जमीन का दान–पत्र करवाने को अधिकार नही होने से तथाकथित दान–पत्र दिनांक 29.8.1998 अब–इनिसियों वोईड है तथा जवाबदेहन्दरा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है, यह घोषणा करवाने हेतु यह काउण्टर क्लेम पेश है। वादीगण ने गुलाराम से साज करके तथाकथित दान पत्र दिनांक 29.8.1998 गलत रूप से तस्दीक करवाया है तथा जवाब देहन्दा को उसके हक से वंचित करना चाहते है इसलिये वादीगण नही बोल रहे है, दान पत्र की गई जमीन पर दानग्रहिता प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का आज तक कोई कब्जा नही है इसलिए दान पत्र की कानूनन कोई अहमियत नही है तथाकथित दान पत्र करवाने से पूर्व गुलाराम ने एक विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम तस्दीक करवाया है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है उसमें चतुर्थ सीमा बताई है वह ही दान पत्र में बताई गई है इसलिए भी दान पत्र बिना कानून के व बिना अधिकार के तथा बेची गई जमीन का व बिना कब्जे की जमीन का करवाया गया है जो अब–इनिसियों वोईड होने से कानूनन कोई महत्व नही रखता। वादीगण ने दावा दिनांक 7.10.1998 को पेश किया है उसमें दान–पत्र को उल्लेख नही किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने एक विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1998 को मु0 महरी देवी पत्नी छोटूराम, मु0 सन्तरा देवी पत्नी नानूराम के नाम करवाया है जो कि अब–इनिसियों वोईड है, नल एण्ड वोईड है तथा जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है जमीन खसरा नम्बर 4567 ग्राम चिराना का विक्रय पत्र करवाया है वह जमीन ... वादीगण नम्बर 2, 3 का हक हकूक है तथा कब्जा काश्त है, जवाबदेहन्दा गुलाराम का पुत्र है तथा हिन्दु कानून में पुत्र का पैतृक जमीन में जन्म लेते ही हक बन जाता है इस प्रकार जवाबदेहन्दा के हक हकूक, कब्जे काश्त की पैतृक जमीन का विक्रय–पत्र करवाने का गुलाराम को हक नही था तथा इसी कारण बिना अधिकार के तथाकथित विक्रय–पत्र तस्दीक करवाने की वजह से अब–इनिसियों वोईड है जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है। वादीगण नम्बर 2 व 3 की पत्नियों के नाम तथाकथित विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 31.12.1998 करवाया गया है जो वादी नम्बर 2, 3 के पिता द्वारा करवाया गया है यह केवल मात्र नाटक है, दिखावा है, जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करने की सोची समझी साजिश है जिसकी वहज से जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित नही किया जा सकता, मु0 सन्तरा, मु0 महरी का इस जमीन पर कब्जा भी नही है इसलिये तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 नल एण्ड वोईड है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने एक विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1998 को तस्दीक करवाया है जो अब–इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है, नल एण्ड वोईड है, यह तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1998 खसरा नम्बर 4612 का करवाया गया है जिसमें जवाबदेहन्दा का पैतृक जमीन होने के कारण जन्म लेते ही हक हकूक बन जाता है क्योंकि जवाबदेहन्दा गुलाराम का बेटा है। हिन्दू कानून से पुत्र को पैतृक जमीन में जन्म से ही हक बन जाता है, गुलाराम व वादीगण मिले हुये है, साज कर रखी है, जवाबदेहन्दा को उसके हक से वंचित करना चाहते है। इस कारण से तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1998 गलत व दिखावटी बनवाया गया है जो जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है, अब–इनिसियों वोईड है। खसरा नम्बर 4612 पैतृक जमीन है जिसके समस्त रकबे का स्थानान्तकण गुलाराम ने वादीगण से मिल कर उनकी पुत्र वधुओं के नाम कर दिया है तथा नानूराम ने अपने हिस्से का कुछ रकबा पहले ही लादूराम, मातादीनल को बेच दिया था इसी कारण नानूराम की पत्नी के नाम कम रकबे की रजिस्ट्री करवाई गई है। वादीगण व गुलाराम जवाबदेहन्दा से रंजिश रखते है व जवाबदेहन्दा उसके हक की जमीन छुड़वाना चाहते है इसी कारण तथाकथित विक्रय–पत्र करवाये गये है जिनका गुलाराम को अधिकार नही था, विक्रय–पत्र दिखावटी है, अब–इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकार के विरूद्ध बेअसर है।

जवाबदेहन्दा खसरा नम्बर 4467, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवे हिस्से का खातेदार काश्तकार है, काबिज है, काश्त करता है, लगान देता है पैतृक सम्पति होने से खातेदार की घोषणा करवाने का अधिकारी है, अलग से विभाजन करवाने का अधिकार है क्योंकि जवाबदेहन्दा अपने हक हकूक की जमीन खसरा नम्बर 4567, 4566, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवे हिस्से पर काबिज है तथा सम्वत् 2040 से अलग विभाजित जमीन पर काबिज है, काम में लेता है उपयोग उपभोग में लेता है।

जवाबदेहन्दा, वादीगण , प्रतिवादीगण नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मु0 सन्तरा देवी पत्नी नानूराम, मोहरी पत्नी छोटूराम, मु0 केशरी पत्नी धूडाराम मालीयान निवासी चिराना को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे जवाबदेहन्दा को खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 चिराना के पांचवे हिस्से की जमीन की काश्त करने, काबिज रहने, एवं उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी पैदा नही करे न अन्य किसी से करवाये। खसरा नम्बर 4566 में मुख्ता मकान है उस पर जवाबदेहन्दा अकेला काबिज है, हकदार है उस पर भी जवाबदेहन्दा के कब्जे काश्त व हक हकूक में व उपयोग उपभोग में वादीगण आदि से दखलन्दाजी पैदा नही करे।

तथाकथित दान–पत्र दिनांक 29.08.1998 तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 नल एण्ड वोईड है, अब–इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकार के विरूद्ध बेअसर है, इस आशय की घोषणा कर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 तथा मु0 सन्तरा, मु0 केशरी, मु0 महाली को पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damayanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नम्बर 3 ने जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद खारिज एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नम्बर 3 जवाबदेहन्दा डिक्री किया जावे तथा घोषणा की जावे कि जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 3 जमीन खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवे हिस्से का खातेदार काश्तकार है,

काबिज है, इसी प्रकार विभाजन की डिक्री जारी की जावे, खसरा नम्बर 4566 ग्राम चिराना का अकेला जवाबदेहन्दा खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जवाबदेहन्दा को जमीन खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 ग्राम चिराना के पांचवे हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही अन्य किसी से करवाये। खसरा नम्बर 4566 के उपयोग उपभोग में जवाबदेहन्दा को हस्तक्षेप नही करे। तथाकथित दान–पत्र दिनांक 29.08.1998 अब–इनिसियों वोईड है, जवाबदेहन्दा के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर है तथा तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.1998 जवाबदेहन्दा के अधिकारों के बेअसर है, अब–इनिसियों वोईड है। इस आशय की घोषणा कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य सिद्धि जो जवाबदेहन्दा के पक्ष में हो जो चाही जाने से रह गई हो वह भी दिलवाई जावे।

प्रकरण में प्रतिवदीगणों की ओर से जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कामय की गई :–

1. **तनकी नम्बर 01** :– आया ग्राम चिराना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्ब 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमशः 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 है। अतः विधिवत विभाजन कर खाते अलग–अलग कायम किये जा सकते है।

भा.स.वादीगण

2. **तनकी नम्बर 02** :– आया प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 14.10.1996 को कराया गया विक्रय पत्र वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलाफ बे–असर है।

भा.स.वादीगण

3. **तनकी नम्बर 03** :– आया प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है कि ग्राम चिराना में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा.स.वादीगण

4. **तनकी नम्बर 04** :– आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ अतः दावा चलने योग्य नही है।

भा.स.प्रतिवादी

5. **तनकी नम्बर 05** :– आया दावा मियाद बाहर है।

भा.स.प्रतिवादी

6. **तनकी नम्बर 06** :– आया भूमि खसरा नम्बर 4567 तादादी 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।

भा.स.प्रतिवादी नं. 1

7. **तनकी नम्बर 07** :– आया दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

भा.स.प्रतिवादी न. 1

8. **तनकी नम्बर 08** :– आया प्रतिवादी नम्बर 3 काउण्टर क्लेम के अनुसार ग्राम चिराना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 4566 वाके ग्राम चिराना का प्रतिवादी नम्बर 3 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन कर खाता अलग कायम किया जा सकता है। एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण को पाबन्द किया जा सकता है कि भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 को पांचवे हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त में [illegible] करे।

भा.स.प्रतिवादी नं. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

9. **तनकी नम्बर 09** :– आया दान–पत्र दिनांक 29.8.1[illegible] तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 प्रतिवादी नम्बर 3 के अधिकारों पर बे–असर है।

भा.स.प्रतिवादी न. 3

10. अनुतोष

तनकीयात कायम होने शहादत ली गई। शहादत वादी में, वादीगण ने अपने वाद की ताईद में वादी स्वयं धूडाराम पीडब्ल्यू–1, खेताराम पीडब्ल्यू–2, भागीरथ पीडब्ल्यू–3 के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये तथा वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत्

2051 से 2054, प्रदर्श–2 जमाबंदी भूमि खसरा नम्बर 4598 व 4612, प्रदर्श–3 एफ.आई.आर दिनांक 10.01.1998, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रदर्श–4 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी नम्बर 01 स्वयं भूदरमल डीडब्ल्यू–1, डीडब्ल्यू–2 चौथूराम, डीडब्ल्यू–3 राजकिशोर, डीडब्ल्यू–4 महेश के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जवाब एंव काउण्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेजात डी–1 लगायत डी–20 तक प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वार लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर अवस्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पति है, जो पीढियों से चली आ रही है। प्रतिवादी नम्बर 1 चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है, जिसने प्रतिवादी नम्बर 2 को जो वादीगण का पिता है, उसको बहला फुसलाकर एक विक्रय पत्र खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर दिनांक 14.10.1996 को विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यलय नवलगढ में तस्दीक करवा लिया। प्रतिवादी नम्बर 3 वादीगण का संगा भाई है जो प्रतिवादी नम्बर 1 से मिला हुआ है व प्रतिवादी नम्बर 2 को कोई रकम अदा नही की, फ्रोड द्वारा व धोखे में रखकर बिना प्रतिफल अदा किये दिनांक 14.10.1996 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया, जबकि उपरोक्त आराजियात पैतृक, संयुक्त अविभाजित सम्पति है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के खिलाफ बेअसर है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, धोखे में डालकर विक्रय–पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा तस्दीक करवाया है, ऐसी हालत में विधिवत बंटवारा जमीन का करवाना आवश्यक हुआ तथा नाजायज रूप से कब्जा नही करे, इसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 01.10.1998 को धमकी देने के रोज वादकारण पैदा हुआ। वादीगण ने न्यायालय से सहायता इंस कदर चाही है कि खसरा नम्बर 4566 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 4598 रकबा 0.23 हैक्टर व खसरा नम्बर 4612 रकबा 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का खातेदारी की घोषणा की जावे तथा खाता विभाजन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे। विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 को बेअसर घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 यानि चारों भाइयों के पिता गुलाराम के नाम से दर्ज है तथा कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को संभला दिया तथा धूड़ाराम ने अपने हिस्से की भूमि 0.20 हैक्टर विक्रय कर दी, परन्तु पिता गुलाराम के नाम से खातेदारी होने के कारण से पिता ने रजिस्ट्री करवा दी, जमीन पैतृक है, जिसमें चारो भाई व पिता शामलाती रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, पिता जीवित है, पुत्रियों का पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है, हिन्दु ... ... का ही हक हिस्सा है, पिता की मृत्यु के उपरान्त पुत्रियों का हक बनता है। विक्रय पत्र ... ... अतिरिक्त ... में कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से काबिज ... प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा जवाब दावा दिया गया जो जिसमें भी उक्त आराजियात को पैतृक मानी है ... दावा गलत आधारहीन पेश किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 का कोई हक नही बनता है। दावे के दौरान प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम का देहान्त हो चुका, चूंकि वाद में उसके सभी वारिसान रिकार्ड पर होने के कारण से वारिस को रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

पर लेने की आवश्यकता नही थी, गुलाराम का 1/8 हिस्सा उसके सभी वारिसान को प्राप्त होगा, इस प्रकार से सभी वारिसान प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा हो गया।

वादीगण ने अपने वाद की ताईद में अपनी शहादत में धूडाराम पीडब्ल्यू-1, खेताराम पीडब्ल्यू-2, भागीरथ पीडब्ल्यू-3 को प्रस्तुत किया, वादीगण ने दस्तावेजी प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054, प्रदर्श-2 जमाबंदी भूमि खसरा नम्बर 4598 व 4612, प्रदर्श-3 एफ.आई.आर दिनांक 10.01.1998, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रदर्श-4 प्रस्तुत किये तथा जिरह में पीडब्ल्यू-1 से मूलाराम जो प्रतिवादी नम्बर 3 व प्रतिवादी नम्बर 2 को अपने साथ ले जाकर रजिस्ट्री करवाई हो मुझे नही पता तथा प्रतिवादी नम्बर 3 ने जिरह में कथन करता है कि मूलाराम यानि प्रतिवादी नम्बर 03 ने प्रतिवादी नम्बर 1 से शुरू से ही मिला हुआ था, यह भी कहना गलत है कि भूदरमल प्रतिवादी नम्बर 1 को कब्जा दे दिया हो, जबकि अपने जवाब दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 यह कथन करता है कि धूडाराम के हिस्से की भूमि गुलाराम ने उसकी सहमति से भूमि विक्रय की, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 में न तो धूडाराम के हस्ताक्षर है, सहमति बाबत न ही मूलाराम के हस्ताक्षर है तथा जिरह में यह कथन भी किया है कि मेरे पिता को कोई रूपयों की आवश्यकता नही थी, न ही कोई जमीन विक्रय की।

पीडब्ल्यू-2 खेताराम ने अपनी जिरह में कहा कि यह सही है कि मूलाराम के हिस्से में आई भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की थी तथा पैतृक भूमि है, जमीन पर कब्जा धूडाराम छोटूराम नानूराम का ही है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू-3 भागीरथ ने अपनी जिरह में कहा है कि गुलाराम के तीन पुत्रियां है, भाईयों के अलावा। गुलाराम ने जमीन विक्रय की हो तो मुझे पता नही। यह कहना गलत है कि भूदरमल का कब्जा सडक की ओर हो। यह सही है कि गुलाराम के पुत्रों में जमीन का विवाद है, रजिस्ट्री का मैने सुना है मैने कब्जा नही देखा। शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल डीडब्ल्यू-1, डीडब्ल्यू-2 चौथूराम, डीडब्ल्यू-3 राजकिशोर, डीडब्ल्यू-4 महेश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

डीडब्ल्यू-1 भूदरमल ने जिरह में यह स्वीकार करता है कि वादग्रस्त भूमि में मेरे को पाबन्द कर रंखा है, मौके पर कमिश्नर गया तब पत्थर पडे हुये थे, दौराने दावा 2019 में मैने निर्माण किया है, खसरा नम्बर 4567, 4566, 4612, 4598 संयुक्त खातेदारी की भूमि है, परन्तु बंटी हुई है, विधिवत बंटवारा नही है, प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 का उक्त भूमि में हिस्सा है, प्रदर्श-14 दिनांक 25.01.2003 न्यायालय के स्थगन के बावजूद रूपान्तरण करवाया, शपथ-पत्र के पृष्ट संख्या 2 में ए से बी सही है तथा सी से डी धुडाराम की ही कब्जा है, विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 उस पर धूडाराम के हस्ताक्षर नही है, न ही विक्रय पत्र में उसकी सहमति प्रदर्श-16 पर सहमति व हस्ताक्षर नही है, खातेदारी गुलाराम के नाम से है, पटवारी ने जांच रिपोर्ट मौके पर जाकर की थी, मेरे भी हस्ताक्षर करवाये थे, पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अवैध कब्जा माना हो, मेरे को पता नही।

डीडब्ल्यू-2 चौथूराम, डीडब्ल्यू-3 राज किशोर, डीडब्ल्यू-4 महेश कुमार ने अपने शपथ-पत्र में खसरा नम्बर 1566, 1567 का कथन किया है, तथाकथित विक्रय पत्र खसरा नम्बर 1567 की भूमि मे से होने का कथन किया है, जबकि वादीगण का 1566, 156[illegible] कोई संबंध नही है तथा विक्रय पत्र 1567 की भूमि मे से किया हो तो वादी का इस संबंध [illegible] ही वादी की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नम्बर 1 अपने जवाब में स्वर्गीय गुलाराम [illegible] विक्रय-पत्र धूडाराम के हिस्से में से करवाने का कथन किया है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 में उसकी सहमति अथवा हस्ताक्षर नही है तथा जिरह में गुलाराम के हिस्से की भूमि धूडाराम को गुलाराम ने विक्रय की, इस प्रकार मूलाराम का कोई हिस्सा नही है, न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकीयात को वादीगण ने पूर्ण रूप से

साबित किया है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 तनकीयात को साबित करने में असफल है, प्रतिवादी नम्बर 3 ने कोई शहादत पेश नही की, इसलिए उसका जवाब दावा नही पढा जायेगा, इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 की ओर से कोई शहादत पेश नही हुई परन्तु वाद को पूर्ण रूप से ताईद करते है तथा वादीगण ने भी इनको हिस्सा माना है, इस कारण वाद के दौरान गुलाराम के फौत होने पर उसके वारिसान का सभी का 1/7 प्रत्येक का हिस्सा है।

अन्तर्गत धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में पैतृक सम्पति में सभी उतराधिकारियों का बराबर–बराबर हक हिस्सा होता है तथा दिनांक 09.09.2005 हिन्दु उतराधिकार संशोधन अधिनियम में पुत्रियां पैतृक सम्पति में कोपार्सनरी वो ही अधिकार रखती है, जो एक पुत्र रखता है, इसलिए कोपार्सनरी अधिकार होने के कारण से बराबर–बराबर हिस्से की अधिकारिणी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत विनिता बनात राकेश शर्मा वृहत पीठ 11.08.2020 को सीजेसीवी पेज 479 पार्ट–2, 2020 में हैल्ड किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपातिद किया है कि मिताक्षरा प्रवृति से पुत्रियों का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 से ही अधिकार पैदा हो जाता है, इसलिए वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का 1/7–1/7 प्रत्येक खातेदार काश्तकार है तथा उक्त अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे।

विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 के अधिकारो के विरूद्ध जो छल व कपट से तस्दीक करवाया है उसको बेअसर घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2000 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 99/1998 को वादीगण के पक्ष में सम्पुष्ट किया तथा राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर भी अनावेदक नम्बर 1 द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद आदेश दिनांक 06.12.2000 को यथावत रखा है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण की लिखित बहस का जवाब में वादीगण की बहस का खण्डन एवं विरोध प्रकट करते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया कि वादी ने लिखित बहस की धारा 1 में वाद–पत्र की पुनरावृति करते हुये विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को बहला फुसलाकर करवाने का आरोप लगया है, जबकि विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 विधि पूर्वक नियमुनसार, रिकार्डेड खातेदार गुल्लाराम पुत्र रामूराम माली द्वारा करवाया हुआ है, जो जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर का करवाया गया है, जो प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल पुत्र हरदेवा माली के नाम से नियमानुसार सही करवाया है। उक्त गुल्लाराम पुत्र रामूराम जमीन खसरा नम्बर 4567 का बाकायदा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार तथा भौतिक रूप से काबिज काश्त तत्कालीन तिथि 14.10.1996 को बाकायदा रहा है। वादी अपने दावे में कथन करता है कि उक्त जमीन में गुल्लाराम पुत्र रामूराम सहित वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 5, 6 का 1/8, 1/8 हिस्सा रहा, जो वादीगण की स्वीकारोक्ति है, जिससे वादीगण मुकर नही सकते है, जो वादीगण के विरूद्ध एस्टोपल है, जो वादीगण के विरूद्ध सांक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत मान्य है। इस विक्रय पत्र में प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने 0. 20 हैक्टर जमीन का विक्रय–पत्र सही रूप से ... द्वारा स्थापित अर्थोरिटी के समक्ष लेखबद्ध करवाके पंजीबद्ध करवाया हुआ है, जिसमें ... सी ... की अतिश्योक्ति कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से नही है। अलबता वादीगण ने ... प्रतिवादी नम्बर 3 जो वादीगण का सगा भाई है, जिसको प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल से मिला हुआ बताकर प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम को कोई रकम अदा नही करने एवं फ्रोड द्वारा धोखे में रखकर बिना प्रतिफल अदा किये विक्रय–पत्र तस्दीक करवाना बताया है, इसका जवाब है कि प्रथम तो विक्रय–पत्र वादीगण द्वारा तथाकथित रूप से बहला फुसलाकर रकम अदा किये बिना फ्रोड द्वारा व धोखे में रखकर बिना प्रतिफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

अदा किये करने का कथन किया है, जबकि इस तरह से विक्रय–पत्र तस्दीक होने का राजस्व न्यायालयों में प्रश्नगत कानूनन नही किया जा सकता है, जिसके लिये प्रोपर मंच सिविल न्यायालय है तथा इस तरह के कथन करने के विरूद्ध जब तक विक्रय–पत्र सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय किसी तरह की रिलीफ स्वीकार करने में सक्षम नही होने के कारण वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है, द्वितीय वादीगण ने जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमशः 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 कुल रकबा 2.05 हैक्टर ग्राम चिराना की जमीन का है, जिसमें वादीगण ने दावे से प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम 1/8 हिस्से का खातेदार माना है, जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक व हिस्से में 0.25 हैक्टर से ज्यादा जमीन हिस्से में आती है जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को 0.20 हैक्टर का करवाया है, जो उसके हिस्से मे कम है, इसलिए विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 विधि अनुसार तथा तथ्य के अनुसार सही करवाया हुआ है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक व पांति में जितनी जमीन आती है, उससे भी कम रकबे का करवाया हुआ है, इसलिए विक्रय पत्र प्रश्नगत करने का कोई कारण न तो कानूनन बनता है तथा न ही तथ्यात्मक रूप से बनता है, लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निहायत ही गैर कानूनी रूप से तथा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जिसका कोई औचित्य नही है तथा वादीगण के वाद–पत्र में लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम ने अपने हक से ज्यादा का विक्रय पत्र नही करवाया है। इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 विधि अनुसार सही है, जो न्यायालय में चैलेज नही किया जा सकता है, इसलिए वादीगण द्वारा यह कथन कि वादीगण के हक पर विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 बेअसर है, यह तथ्य निहायत ही गैर कानूनी और कानून के विपरीत होने के कारण वादीगण की किसी प्रकार से कोई मदद नही करता है, इसलिये वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

नोट :– जमीन खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर मे से विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के अनुसार 0.20 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल पुत्र हरदेवाराम के नाम से बाकायदा बना हुआ है तथा इस विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.1996 के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 1 जवाबदेहन्दा भूदरमल मौके पर भौतिक रूप से काबिज है, काश्त करता है, उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक कर रहा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा जमीन खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 में चार भाई वादीगण+प्रतिवादी नम्बर 3, तीन बहिने प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 6 एंव पिता प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम कुल 8 हिस्से का दावा वादीगण लेकर आये है। वादीगण ने अपने दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम का आठवा हिस्सा भी माना है, जिसके मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम के हक में 0.25 हैक्टर से ज्यादा जमीन पांति में आती है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम ने विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम 0.20 हैक्टर का ही बनाया है, इसलिये वादीगण का वाद अपने आप में व्यर्थ का वाद है, जिसका कोई औचित्य कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

नोट :– वादीगण द्वारा तथाकथित दावा न्यायालय मे प्रस[illegible] के पश्चात वादी नम्बर 1 धूडाराम पुत्र गुल्लाराम ने वादग्रस्त जमीन मे से ज[illegible] है, [illegible] के बाबत वादी धूडाराम को न तो माननीय न्यायालय को सूचित किया है तथा न ही किसी [illegible] की प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके सही स्थिति न्यायालय के सामने रखने की पेशकश [illegible] की है, लिहाजा वादी धूडाराम द्वारा न्यायालय के सामने तथ्यों को छुपाया है, न्यायालय के सामने सही तथ्य नही लिखे है, इस तरह वादी विथ क्लीन हैण्ड कोर्ट मे नही आया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तथ्यों से जाहिर होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को सिविल न्यायालय में ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जबकि 26

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष पूर्व विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबंद्व हुआ है, जिसको किसी ने भी आज दिन तक सिविल न्यायालय में चैलेज नही किया है। लिहाजा कानून की मान्यता है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 अन्तिम हो चुका है, जिसको प्रश्नगत करने की मियाद भी निकल चुकी है, इसलिये इस विक्रय के आधार पर बना राजस्व रिकार्ड सही है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज के बारे में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत यह है कि विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 सही है, सही होने की कानूनन में उपधारणा है, इस कारण से उसके आधार पर बना राजस्व रिकार्ड भी कानूनन सही होने की उप–धारणा मानी जायेगी।

प्रतिवादी नम्बर 2 गुलाराम को अपना 1/8 हिस्से के अनुसार बेचने का हक रहा है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने हिस्से से कम जमीन का बेचान किया है, जिसका रिकार्ड सही बना हुआ है। इस तरह से विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 से वादीगण अपने हक से वंचित कानूनन नही हो रहे है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व्यर्थ का वाद है और खारीज होने योग्य है। जमीन मौके पर बंटी हुई है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल अपनी खरीद शुदा जमीन पर मौके पर काबिज है तथा जमीन बंटी हुई है, जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल का काउण्टर क्लेम भी है तथा प्रतिवादी नम्बर 3 मूलाराम ने अपना जवाब दावा बाकायदा प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने जवाब दावा व काउण्टर क्लेम की ताईद की गई है, जिसको साबित करने के लिये जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–डी1 से प्रदर्श–डी20 पेश किये है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने अपने मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 से डीब्ल्यू 3 तक साक्ष्य करवाई है, साक्ष्य के विवेचन में प्रतिवादी नम्बर 1 जवाबदेहन्दा भूदरमल का कथन बाकायदा साबित किया गया है तथा जिरह वादीगण द्वारा किसी तरह का खण्डन जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के कथन का नही हुआ है, लिहाजा वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार होने योग्य है। वादीगण ने जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को हैरान व परेशान करने के लिये गैर कानूनी रूप से दावा प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य से जवाबदेहन्दा का काउण्टर क्लेम मंजूर होने योग्य है। इस तरह वादीगण की रिलीफ व्यर्थ की रिलीफ, है वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी व्यर्थ का किया हुआ है।

वादी की लिखित बहस की धारा 2 में अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे मे कथन किया है, जो दावे के अन्तिम निर्णय की स्टेज पर कोई मायने नही रखने की कारण धारा 2 व्यर्थ की लिखी गई है। इस धारा में वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम की मृत्यु के पश्चात प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा होना दर्ज किया है, जबकि सत्य स्थिति यह है कि गुल्लाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक मे से जमीन बेची, इसके पश्चात उसकी मृत्यु पर जितनी जमीन गुल्लाराम प्रतिवादी नम्बर 2 के शेष रही उसमें से 1/7, 1/7 हिस्से होने में जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर भूदरमल को कोई ऐतराज नही है, इस तरह वादी द्वारा प्रासांगिक बाते अपने लिखित बहस में लिखी है, जिसका वादी के हक से कोई सरोकार नही है।

वादी की लिखित बहस में पैरा नम्बर 3 में सा[illegible] के बाबत बताया है जबकि दावे का कथन वादीगण द्वारा किया गया है उसके [illegible] कारण से वादी के मौखिक साक्ष्य का कोई औचित्य नही होने से कोई अहमि[illegible] नही रखती है। वादीगण द्वारा जमाबंदी 2 पेश हुई जिनमें रिकार्ड के बाबत दर्ज है, जिसका कोई वि[illegible] नही है, मामला कृषि भूमि से संबधित है, इसिलये एफ. आई. आर. का राजस्व वाद के निर्णय मे कोई रोल नही होता है, विक्रय–पत्र वादीगण ने पेश किया है, जिसके बाबत ऊपर विस्तार से जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल द्वारा विवेचना की जा चुकी है। इस तरह वादीगण द्वार प्रस्तुत साक्ष्य चाहे वह दस्तावेजी हो या मौखिक हो वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की कानून व तथ्य के अनुसार कोई मदद नही कर रही है। इस तरह दोनों पक्षों की साक्ष्य से वादीगण अपनी भार वाली तनकी को कतई साबित करने में विफल रहा है तथा जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल ने अपने द्वारा जो तनकीयात कायम हुई उसको बखूबी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के वाचन से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि पिता का अपने पुत्रों के साथ बराबर का हक निहित है, जिसके मुताबिक पिता गुल्लाराम प्रतिवादी नम्बर 1 ने विक्रय पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल के नाम से दिनांक 14.10.1996 को करवाया है, वह कानून सम्मत होने के कारण उसके विपरित कोई तथ्य ओर कानून नही होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 09.09.2005 में संशोधन से भी जवाबहदेन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक हकूक पर तथा विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 पर कोई विपरीत असर नही है। लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य व कानून वादीगण के कथन को ताईद नही करने के कारण वादीगण का वाद खारीज होने योग्य है। भारत का कोई भी कानून वादी के कथन पर लागू नही होता है तथा कानून के अनुसार वादीगण ने वाद पत्र ही व्यर्थ का पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल को प्रतिवादी नम्बर 2 गुल्लाराम की पुत्रियों का उसकी जमीन में हक होने में कभी कोई ऐतराज नही रहा है, मौके पर जबवादेहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक की जमीन का विभाजन हो रखा है, अलग खाता कायम किया हुआ है।

विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 के बाबत ऊपर विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र बेअसर होने का कोई प्रश्न ही नही है, अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दावे के निर्णय तक ही लागू रहता है, यह कानून की स्थिति भी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई हक तय नही होते है, अस्थाई निषेधाज्ञा का महज दावे के निर्णय तक के लिये एक व्यवस्था है, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ सूट नही बढ़े, कानून व्यवस्था बनी रहे इस तरह अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे में अन्तिम बहस के समय लिखने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रतिवादी नम्बर 1 भूदरमल की ओर से जवाब बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद मय हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

1. **तनकी नम्बर 01 :–** आया ग्राम चिराना में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्ब 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा क्रमशः 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8 है। अतः विधिवत विभाजन कर खाते अलग–अलग कायम किये जा सकते है।

भा.स.वादीगण

तनकी नम्बर 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने वाद–पत्र के मद संख्या 10(क) के अनुसार निम्न रिलीफ डिमाण्ड की है कि :– भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 रकबा 0.05, 1.07, 0.23, 0.70 हैक्टर ग्राम चिराना की सरहद में स्थित का बंटवारा किया जाकर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का [illegible] 1/8 हिस्सा अलग किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे व बंटवारा की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

यहां यह उल्लेखनीय है [illegible] वर्णित विवादित भूमि के संबंध में पैतृकता के आधार बंटवारे की इस्तदुआ चाही है जबकि वादीगण [illegible] रिलीफ में कही पर भी पिता के जीवनकाल मे अपने नोशनल शेयर की घोषणा बाबत कोई सिद्धि डिमाण्ड नही की गई है। बिना घोषणा के बंटवारे की सिद्धि प्रदत किया जाना विधि की वर्णिनाओं के विपरित है। विभाजन सह–खातेदारो मे ही हो सकता है वादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (सा.दे.)
नवलगढ़

इसलिए वादीगण द्वारा चाही गई बंटवारे की सहायता कानून प्रदत्त नही की जा सकती है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा हिस्से की घोषणा के बगैर विभाजन रिलीफ मांगी गई है जो कानूनन जारी नही की जा सकती। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय नक्शा में विवादित भूमि विभिन्न व्यक्तियों को जरिये विक्रय–पत्र व दान–पत्र द्वारा दिया जाना वर्णित किया जिनका राजस्व अभिलेख प्रदर्श–1 में नामान्तकरण हो चुका है। वाद में वादीगण ने पक्षकार भी संयोजित नही किया है जबकि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सभी रिकार्डेड खातेदार है। विभाजन में सभी आवश्यक पक्षकार होते है। इसलिए बिना घोषणा व सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाने के कारण वादीगण द्वारा चाही गई रिलीफ विभाजन की सिद्धि जारी नही हो सकती। इसलिए उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02** :– आया प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 14.10.1996 को कराया गया विक्रय पत्र वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के अधिकारों के खिलफ बे–असर है।

भा.स.वादीगण

उक्त तनकी नम्बर 02 को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूँकि वादीगण रिकार्डेड खातेदार नही है ना ही घोषणा की इस्तदुआ चाही गई है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण की स्थिति एक अजनबी व्यक्ति की है जिनको विक्रय पत्र को चुनौति देने की लोकस स्टेण्डाई नही है। तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध तय की गई है जिसके कारण उक्त तनकी नम्बर 02 भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. **तनकी नम्बर 03** :– आया प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है कि ग्राम चिराना में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4566, 4567, 4598, 4612 के किसी भी हिस्से पर कब्जा न करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

भा.स.वादीगण

तनकी नम्बर 03 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। ना ही वादीगण ने घोषणा की सिद्धि डिमाण्ड की है जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसलिए एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 03 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 04** :– आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ अतः दावा चलने योग्य नही है।

भा.स.प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 3 पर है। वादीगण ने वाद–पत्र की मद संख्या 7 में वादकारण दिनांक 01.10.1998 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा नाजायज कब्जा जमीन पर करने के नियत से वादीगण पर हमला एवं मारपीट करने पर पैदा होना दर्ज किया है। वाद–पत्र में वादीगण ने घोषणा बंटवारा के संबंध में वादकारण पैदा होने के मुताबिक तथ्यों को दर्ज नही किया है। वाद–पत्र की Pith and Substance के अनुसार वाद–पत्र के लिए वाद–कारण को Disclose नही करता है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 4 स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए वादकारण की सीमा तक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. **तनकी नम्बर 05** :– आया दावा मियाद बाहर है।

भा.स.प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी नम्बर 05 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 3 पर है। प्रतिवादी नम्बर 03 के जवाब दावे के मुताबिक वादीगण का वाद मियाद में कैसे ... है कुछ भी दर्ज नही किया गया है ना ही दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मियाद के बिन्दु का Disclose किया है कि वादीगण का वाद मियाद बाहर कैसे है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार विभाजन की कोई

ए. सी. ई. एम. (स्त. ह्रै.) गंगापुर

मियाद नही है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए मियाद 3 साल है। वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए वाद–कारण दिनांक 1.10.1998 को उत्पन्न होना दर्ज किया है तथा वादीगण ने वाद न्यायालय हाजा में दिनांक 7.10.1998 को प्रस्तुत किया है। फलस्वरूप वादीगण का वाद तृतीय अनुसूचि के अनुसार अन्दर मियाद है। फलस्वरूप प्रतिवादी नम्बर 3 के विरूद्ध तय की जाती है।

6. **तनकी नम्बर 06 :–** आया भूमि खसरा नम्बर 4567 तादादी 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है।

भा.स.प्रतिवादी नं. 1

उक्त तनकी नम्बर 06 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने भूमि खसरा नम्बर 4567 मे से रकबा 0.20 हैक्टर पर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ चाही है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी नम्बर 1 खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से रकबा 0.20 हैक्टर का क्रेता व रिकार्डेड खातेदार है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 अपने काउण्टर क्लेम द्वारा विभाजन की रिलीफ नही डिमाण्ड की है। बिना विभाजन के प्रतिवादी नम्बर 1 कौनसे हिस्से पर काबिज है साबित नही होता है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 का शेष सह–हिस्सेदार के साथ संयुक्त कब्जा है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने सह–हिस्सेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ डिमाण्ड नही कर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा डिमाण्ड की है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। बिना राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हुए बगैर वादीगण की स्थिति एक अजनबी व्यक्ति के समान है। प्रतिवादी नम्बर 1 संयुक्त हिस्सेदार होने नाते वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुस्तहक है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तय की जाती है।

7. **तनकी नम्बर 07 :–** आया दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

भा.स.प्रतिवादी न. 1

उक्त तनकी नम्बर 07 को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 01 पर है। वादीगण ने वाद–पत्र के माध्यम से बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1996 को शून्य व बेअसर करने की रिलीफ चाही है। बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ विवादित भूमि कृषि भूमि होने के कारण अदालत हाजा को है तथा विक्रय–पत्र को शून्य व बेअसर करने की रिलीफ अन्य रिलीफ के आनुसांगिक है जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकार अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

8. **तनकी नम्बर 08 :–** आया प्रतिवादी नम्बर 3 काउण्टर क्लेम के अनुसार ग्राम चिराना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 4566 वाके ग्राम चिराना का प्रतिवादी नम्बर 3 अकेला खातेदार काश्तकार है जिसका विभाजन कर खाता अलग कायम किया जा सकता है। एवं प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण को पाबन्द किया जा सकता है कि भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 को पांचवे हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 3 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करे।

Signature Not Verified

भा.स.प्रतिवादी नं. 3

9. **तनकी नम्बर 09 :–** आया दान–पत्र दिनांक [illegible].8.199[illegible] तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 प्रतिवादी नम्बर 3 के अधिकार [illegible]

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

भा.स.प्रतिवादी न. 3

तनकी नम्बर 8 व 9 एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिए उक्त दोनो तनकियों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनो तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 03 पर है। प्रतिवादी नम्बर 03 ने काउण्टर क्लेम के माध्यम से भूमि खसरा नम्बर 4567, 4598, 4612 में 1/5 हिस्से की घोषणा विभाजन व प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 व वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ डिमाण्ड की है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 03 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार नही है इसलिए रिकार्डेड

ए.सी.ई.एम. (का.दे.)

खातेदार होने के अभाव में प्रतिवादी नम्बर 3 किसी के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा का मुस्तहक नही है। जहां तक घोषणा व विभाजन का प्रश्न है एक प्रतिवादी क्या अन्य प्रतिवादियों के विरूद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है या कानूनन पृथक वाद प्रस्तुत कर सकता है एक विचारणीय प्रश्न है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 06(क) में वर्णित किया गया है कि वाद में प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरूद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को जो वादी के विरूद्ध प्रतिवादी को वाद फाईल किये जाने के पूर्व या पश्चात किये जाने के लिये परिसिमित समय का अवशान हो जाने के पूर्व किसी वाद हैतुक के बारे में प्रोद्भूत हुवा हो उठा सकेगा चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकशानी के दावे के रूप में हो या नही। उपरोक्तानुसार एक प्रतिवादी वादी के विरूद्ध ही अपना प्रतिदावा कानूनन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी के विरूद्ध कानूनन प्रतिदावा प्रस्तुत नही कर सकता। कानूनन प्रतिवादी को अपने अधिकारों के लिए वादी के रूप में शेष प्रभावित पक्षकारों को प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर पृथक वाद लाने का अधिकार रखता है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 3 ने प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध घोषणा की रिलीफ डिमाण्ड की है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 19.08.1998 व 31.12.1998 को चुनौति दी है अर्थात प्रतिवादी ने प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी नम्बर 3 का काउण्टर क्लेम वादीगण की सीमा तक ही प्रस्तुत हो सकता है। फलस्वरूप प्रतिवादी नम्बर 3 ने विधि में वर्णित उपबंध के प्रतिकूल, प्रतिदावा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर प्रतिदावा के माध्यम से चाही गई दादरशी प्रतिवादी नम्बर 3 प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिदावा विधि द्वारा वर्जित है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 8 व 9 प्रतिवादी नम्बर 3 के विरूद्ध तय की जाती है।

10. अनुतोष :–

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वाद व प्रतिवादी नम्बर 3 अपना प्रतिदावा साबित करने में असफल रहे है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 अपना काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा का साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 3 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही तथा प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध अपनी क्रय शुदा भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

:: आदेश ::

लिहाजा उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण साबित नही पाये जाने एंव प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम साबित नही पाये जाने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की सीमा तक पूर्णतया साबित पाया जाने पर प्रतिवादी नम्बर 1 का काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई भूमि रकबा 0.20 हैक्टर के संबंध में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 की क्रय शुदा भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदनुसार पृथक डिक्री मुरत्तिब की जावे। निर्णय आज दिनांक 11–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फॉस्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुनूं

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा : इश्तकरार हक, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा
अ०धारा० 88, 53, 188 राज.काश्त. अधि. 1955

मुकदमा सं0:– 248/2016
जी.सी.एम.एस.नं. 2021/155
पूर्व मु0न0 150/1998

(धूड़ाराम आदि बनाम भूदरमल आदि)

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 11.01.2023 की विवेचनानुसार वाद वादीगण साबित नही पाये जाने एंव प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम साबित नही पाये जाने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 03 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की सीमा तक पूर्णतया साबित पाया जाने पर प्रतिवादी नम्बर 1 का काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4567 रकबा 1.07 हैक्टर में से प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय की गई भूमि रकबा 0.20 हैक्टर के संबंध में वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 की क्रय शुदा भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.01.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:02:24 IST
Reason: SelfAttested